ऑन लाईन नं.RCMS2023/66

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 41/2023

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री महावीर प्रसाद माहेश्वरी पुत्र श्री रतन लाल माहेश्वरी –खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक **मै0** माहेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी, तह बाजारी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी :–सुन्दरनगर, प्लाट नम्बर 104, घडसाना
2. शुभम ट्रेडर्स, 5 जैन भवन, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52

निर्णय **दिनांक : 29.03.2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 18.08.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः–एफएसएसए/2020/830 दिनांक 26.10.2020 एवं क्षेत्राधिकार अधिसूचना 11.04.2012 अनुसार प्रकाशित के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.10.2021 को बाद 3.00 बजे का पर दौराने निरिक्षणनार्थ विकेता एवं मालिक महावीर प्रसाद माहेश्वरी पुत्र श्री रतन लाल माहेश्वरी निवासी सुन्दरनगर, प्लाट नम्बर 104, घडसाना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर एवं शुभम ट्रेडर्स, 5 जैन भवन, श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान/संस्थान पर मालिक विकेता एवं मालिक महावीर प्रसाद माहेश्वरी पुत्र श्री रतन लाल माहेश्वरी निवासी सुन्दरनगर, प्लाट नम्बर 104, घडसाना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर एवं शुभम ट्रेडर्स, 5 जैन भवन, श्रीगंगानगर कारोबार कर रहा था जिसने विकेता एवं मालिका होना बताया को अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखने को कहा तो उसने अपना खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाया ।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणनार्थ दुकान में 500–500 मि.ली. **Blended Edible Vegetable Oil (Fairwell Premium)** के 170 पैक डिब्बे विकय हेतु रखे थे, शुद्वता की जांच वास्ते उसमें से 04 पैक डिब्बे नमूने वास्ते लिये एवं विकेता एवं मालिक को मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

विक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी ओर खरीद प्राप्ति रसीद ली जो सलंग्न है। तत्पश्चात **Blended Edible Vegetable Oil (Fairwell Premium)** के 170 पैक डिब्बे ली में से 4 पैक डिब्बे जांच हेतु लिए, जिसके पेटे 360/– रूपये नगद देकर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Blended Edible Vegetable Oil (Fairwell Premium)** के 170 पैक डिब्बे ली में से 4 पैक डिब्बे के नमूने लिये , जिसको मूल 4 पैक अलग–अलग भाग में प्रत्येंक का लेबल तैयार कर चिपकायें और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1217** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1217** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे महावीर प्रसाद माहेश्वरी पुत्र श्री रतन लाल माहेश्वरी एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./381/Act/2022/381 Dated 10-02-2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1217 Misbrand Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त महावीर प्रसाद माहेश्वरी पुत्र श्री रतन लाल माहेश्वरी **मै0** माहेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी, तह बाजारी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Blended Edible Vegetable Oil (Fairwell Premium)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 03.03.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:– प्रार्थी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मै0 माहेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी, तह बाजारी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर का मालिक है। प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 23/443 दिनांक 09.03.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में **Blended Edible Vegetable Oil (Fairwell Premium)** की जांच की गई तो **Blended Edible Vegetable Oil (Fairwell Premium) Misbrand Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **Blended Edible Vegetable Oil (Fairwell Premium)** में सुधार कर लिया है, भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Blended Edible Vegetable Oil (Fairwell Premium)** का सैम्पल **K-1217** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./381/ Act/ 2022/381 Dated 10-02-2021 द्वारा **Misbrand Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मै0 माहेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी, तह बाजारी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर का मालिक है। प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 23/443 दिनांक 09.03.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में **Blended Edible Vegetable Oil (Fairwell Premium)** की जांच की गई तो **Blended Edible Vegetable Oil (Fairwell Premium) Misbrand Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **Blended Edible Vegetable Oil (Fairwell Premium)** में सुधार कर लिया है, भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Blended Edible Vegetable Oil (Fairwell Premium)" bearing Code No and Sr. No. K-1217, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards Act-2006** . की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

फलस्वरूप अभियक्त महावीर प्रसाद माहेश्वरी पुत्र श्री रतन लाल माहेश्वरी को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त महावीर प्रसाद माहेश्वरी पुत्र श्री रतन लाल माहेश्वरी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000—00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में महावीर प्रसाद माहेश्वरी पुत्र श्री रतन लाल माहेश्वरी खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर